न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 165/2015
दिलीपसिंह पुत्र रामकुमार जाति रावणा राजपूत (दरोगा) निवासी खिरोड तहसील नवलगढ
—वादी

बनाम

1. जगनाथ पुत्र रामकुमार
2. दिलीपसिंह पुत्र जगनाथ
3. मूलसिंह
4. शंकरसिंह पुत्रान रामकुमार
5. छगनसिंह पुत्र लादूराम जाति रावणा राजपूत (दरोगा) निवासीगण खिरोड तहसील नवलगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—प्रतिवादीगण

दावा घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अं.धारा 88, 188, 92—ए राज.का.अधिनियम
निर्णय

निर्णय तिथि 18.10.2017

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम खिरोड की सरहद में भूमि ख.न. 574 तादादी 5 बीघा 10 बिश्वा, ख.न. 573 तादादी 5 बीघा 1 बिश्वा अवस्थित है। तस्दीक वर्ष 1985 के ख.न. 965/0.74, 966/0.54 967/1.39, जिसे तस्दीक वर्ष 2046 से 2049 के नये ख.न. 731/0.74, 732/0.54 व 733/1.39 है0 बने हैं जो स्व0 रामकुमार की खातेदारी की भूमि थी जिसके वादी व प्रतिवादीगण वारिसान है। उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्तकारी में चली आ रही है जो पैत्रिक भूमि है। ख.न. 747 व 748 में प्रतिवादी नं. 5 का 1/2 हिस्सा के संबंध में कोई विवाद नही है। प्रथम पैमाईश जागीर अधिग्रहण के पश्चात आई उससे पूर्व वादी के पिता रामकुमार का देहान्त हो चुका था वादी व प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 उस वक्त छोटे थे सबसे बडा प्रतिवादी नं. 1 के नाम से भूमि का रिकार्ड बन गया कर्ता खानदान होने के कारण से वादी व प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 का लालन पालन भी प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा ही किया गया है। कर्ता खानदान होने व प्रचलित रिवाज के अनुसार बडे के नाते जो उस वक्त बालिग था व वादी व प्रतिवादी नं. 3 व 4 नाबालिग होने के कारण से प्रतिवादी नं.1 का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया। प्रतिवादी नं. 1 लापता होने से पूर्व वादी व प्रतिवादी नं. 3 व 4 को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज करवाने बाबत कहा तथा स्वयं नाम दर्ज करवाने के लिये तैयार था परन्तु दिनांक 21.12.1983 को अचानक घर से निकल गया जिसका आज तक कोई अता पता नही है न ही किसी रिश्तेदारी में तलाश करने पर मिला व न ही किसी से आज तक जीवित होने या करने की वादी व अन्य परिवारजनों को कोई सूचना है। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 1 के नाम से अकेले के नाम से खातेदारी गलत रूप से अकेले के नाम से चली आ रही है, उक्त गलत राजस्व रिकार्ड के रहने से वादी को सख्त हकतलफी रहती है, हालांकि उक्त गलत राजस्व रिकार्ड वादी के वैद्य अधिकारों के खिलाफ कोई प्रतिकूल असर नही पडता व स्व0 रामकुमार के सभी विधिक वारिसान7 का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में जन्म से ही अधिकार पैदा हो जाता है कानून का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि पिता की सम्पति में उसके सभी विधिक वारिसानों का बराबर बराबर हक अधिकार व हिस्सा हो। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टि पैमाईश के वक्त अकेले प्रतिवादी नं. 1 के नाम से दर्ज की वो राजस्व अंकन वादी के वैद्य अधिकारों के विरूद्ध होने के कारण से शून्य व एबीनिसियो वोइड है। उक्त विधि विरूद्ध प्रविष्टि से प्रतिवादी नं. 1 को अथवा वारिसान को कोई टाईटल पैदा नही होता हौ व न ही कोई अधिकार पैदा होता है इसलिये वादी को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड के रहने से सख्त हकतलफी पैदा होती है साथ ही अपने वैद्य अधिकारों से वंचित हो रहा है तथा अपने वैद्य अधिकारों से कानूनन वंचित करने का कोई अधिकार नही है। वादी को अपने हक हकूक अधिकारों के लिये वाद घोषणार्थ का प्रस्तुत करना आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी

हुआ। वादग्रस्त भूमि में ख.न. 747, 748 में वादी का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी नं.1 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी नं. 3 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 4 का 1/8 हिस्सा है तथा भूमि ख.न. 749 में वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवदी नं. 4 का 1/4 हिस्सा है जिस पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, उक्त भूमि की लाट बाट भी शामिल में करते हैं परन्तु भविष्य में कोई विवाद पैदा न हो इसलिये मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विवादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन किया जाकर खाता अलग अलग किया जावे इसलिये वादी को विधिवत विभाजन का वाद पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी नं. 1 का वारिस प्रतिवादी नं. 2 ने वादी को दिनांक 15.07.2015 को इस आशय की धमकी दी कि पूरी भूमि का राजस्व रिकार्ड अकेले मेरे पिता प्रतिवादी नं. 1 के नाम से ही उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड हमारे नाम करवायेंगे तथा राजस्व रिकार्ड हमारे नाम से बन जाने पर हम उक्त वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करंगे डेमेज करेंगे हरे वृक्ष काटेंगे व भूमि का विक्रय करेंगे इस तरह की धमकी देने के बाद वादी ने भूमि संबंधी नकले प्राप्त की व विधि सलाहकार से सलाह लेने के बाद स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हुआ।चूंकि उक्त राजस्व रिकार्ड पैमाईश के दौरान बनाया गया है जिससे कोई अधिकार पैदा नही होता है व न ही गलत रिकार्ड के आधार पर कोई अधिकार पैदा होता है व ही वादी को उसके वैद्य अधिकारों से वंचित किया जा सकता है इसलिये वादी के अधिकारों के खिलाफ शून्य है। प्रतिवादी नं. 1 आज से करीब 32 वर्ष पूर्व दिनांक 21.12.1983 को बिना बताये घर से निकल गया जिसका आज तक कही अता पता नही है न ही उसके बारे में जीवित होने की कोई सूचना किसी भी नातेदार रिश्तेदार द्वारा नही दी गई न ही उसके बारे मे कोई पता चला है इसलिये प्रतिवादी नं. 1 जगनाथ के बारे में यह अवधारणा की जाती है कि 32 वर्ष पूर्व से अधिक समय से कोइ सूचना प्राप्त नही होने के से दिनांक 2112.1983 को प्रतिवादी नं. 1 जगनाथ की मृत्यु हो चुकी है जिसका विधिक वारिस प्रतिवादी नं. 2 है तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 107, 108 क तहत यह अवधारणा की जावेगी जिससे 7 वर्ष से अधिक समय से लापता होने व कोई सूचना 7 वर्ष से अधिक समय से जीवित होने की प्राप्त नही होने से यह उपधारणा की जावेगी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है इसलिये प्रतिवादी नं. 1 का वारिस प्रतिवादी नं. 2 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अतः वाद वादी बहक खिलाफ प्रतिवादीगण इस उमर की घोषणा की डिक्री फरमाई जावे कि वाके ग्राम खिरोड की सरहद में अवस्थित भूमि ख.न. 749 रकबा 1.30 है0 में वादी को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 2 लगायत 4 प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा ख.न. 748/0.54, 747/0.74 है0 में वादी व प्रतिवादी नं. 2 लगायत 4 प्रत्येक को 1/8, 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार विभाजन किया जावे। एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में किसी भी भू भाग को न तो स्वयं खुर्द बुर्द करे न ही किसी अन्य से करावे तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबीं प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः शहादत वादी ली जाकर बहस वकील वादी सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी खिरोड संवत 2015 से 2018 के अनुसार भूमि ख.न. 574 रकबा 5 बीघा 10 बिश्वा की खातेदारी जग्गनाथ पुत्र रामकुमार जाति दरोगा सा.दे. दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि ख.न. 573 रकबा 5 बीघा 1 बिश्वा की खातेदारी जगनाथ पुत्र रामकुमार व लादू पिता हनुमाना जाति दरोगा सा.दे. कदीम हि.ब. दर्ज रिकार्ड है। तथा जमाबंदी संवत 2031 से 2034 मुताबिक जमाबंदी संवत 2015 से 2018 है। नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार गत ख.न. 573मी से नये ख.न. 965/0.74, 966/0.54 तथा गत ख.न. 574 से नया ख.न. 967/1.39 है0 बनना प्रमाणित है। संवत 2046 से 2049 में नये खसरा नम्बर 965 से 731/0.74, 966 से 732/0.54 व 967 से 733/1.39 है0 बनना प्रमाणित है तथा संवत 2054 से 2057 में इनसे भी नये खसरा नम्बर 732 से 748/0.54, 731 से 747/0.74, 733 से 749/1.39 बनना प्रमाणित है। नकल जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार ख.न. 747/0.74, 748/0.54 किता 2 कुल रकबा 1.28 है0 की खातेदारी जगन्नाथ पुत्र रामकुमार हि0 1/2 छगनसिंह पुत्र लादूराम जाति दरोगा हि.ब.हि. 1/2 सा.दे.खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं तथा इसी जमाबंदी में ख.न. 749/1.39 है0 की

खातेदारी जगन्नाथ पुत्र रामकुंवार जाति दरोगा सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वकील वादी द्वारा बहस में कथन किया गया कि उक्त जमीन का सैटलमेन्ट से पूर्व गलत तरीके से नामान्तरणकरण कर्ता खानदान होने के नाते प्रतिवादी नं. 1 के नाम से खोला गया है जो गलत है क्योंकि नामा0 एक फिसीकल प्रोसिडिंग है जो यह तय करता है कि लगान किससे लिया जाना है। नामा0 से अधिकार कायम नही होते हैं। वकील वादी का बहस के दौरान यह भी कथन रहा कि प्रतिवादीगण को जारी नोटिस विधिवत तामील हुये हैं लेकिन उनके द्वारा अपना जबाब पेश नही किया गया तथा न ही कोई एतराज पेश किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा वाद के कथन को स्वीकार किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी संव 2015 से 2018 में खसरा नम्बर 574 व 573 प्रतिवादी नं. 1 के नाम से दर्ज है तथा इसके बाद बने राजस्व रिकार्ड में भी खातेदार का नाम जगन्नाथ पुत्र रामकुंवार दर्ज है। पत्रावली में किसी भी उपलब्ध दस्तावेजात से किसी भी रूप में यह प्रमाणित नही होती है कि यह वादग्रस्त भूमि वादी की पैत्रिक भूमि है। वादी क्लीन हैण्ड से वाद लेकर नही आया है। इस प्रकार वादी का वाद सिद्ध नही होने के कारण वाद वादी खारीज किया जाता है।

आदेश

वाद वादी रिकार्ड व सबूदात के अभाव में प्रमाणित नही होने के कारण खारीज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/17

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़